महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकःरू.वि./प0नि0का0/प्रयो.मौ./2022/922-928 दिनांकः–09.09.2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषयः– **कालेज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल सम्बन्धी अतिरिक्त सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या रू0वि0/प्रयो0मौ0/2022/2032–34 दिनॉक 27.08.2022 एवं पत्र संख्या रू0वि0/प्रयो0मौ0/2022/2035–2040 दिनॉक 30.08.2022 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष सत्र 2021–22 की समस्त प्रयोगात्मक एवं मौखिक परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति हेतु कालेज मैनेजमेंट सिस्टम (पोर्टल) तैयार किया है जो कि सुचारू रूप से कार्य कर रहा है एवं जिसका लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। समस्त महाविद्यालय यूजर मैनुअल में दिये गये निर्देशों के आधार पर अपने महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनायें पोर्टल पर पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त ही परीक्षकों की नियुक्ति प्रारम्भ करें। इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर के कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षकगण समस्त महाविद्यालयों में अपने विषय के आन्तरिक एवं अपने महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालयों में बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जा सकते है।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर के सेवानिवृत्त शिक्षकगण समस्त महाविद्यालयो में अपने विषय के बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित (Self Finance) महाविद्यालयों एवं समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कार्यरत समस्त शिक्षकगण केवल अपने विषय के आन्तरिक परीक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं।
4. अन्य विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राजकीय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के कार्यरत पूर्ण कालिक एवं सेवानिवृत्त शिक्षकगण समस्त महाविद्यालयों में अपने विषय के बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जा सकते हैं।
5. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर के समस्त शिक्षकों हेतु आन्तरिक परीक्षा हेतु 10 बैचों की बाध्यता नहीं हैं।
6. यदि किसी महाविद्यालय द्वारा उक्त नियमों के विपरीत परीक्षा सम्पादित करायी जाती है तो विश्वविद्यालय को उक्त परीक्षा को निरस्त करने का अधिकार है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी समस्या हेतु निम्नलिखित से सम्पर्क करने का कष्ट करें:–

क.स.	नाम	मोबाईल न0
1.	श्री अतुल शर्मा	8077914522
2.	श्री उमेश सक्सैना	6387070428
3.	श्री संजीव कुमार	9568158322

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी।
2. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. प्रभारी, ऑनलाइन एजेन्सी।
4. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
5. वै0 सहायक, कुलसचिव।
6. प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)।

परीक्षा नियंत्रक